कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः एफ 15 (19)2012/हितकारी कोष/प्रमुवसं/पार्ट/ दिनांक

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के हितार्थ विज्ञप्ति संख्या एफ4(5)41रेवेन्यु-8/74 दिनांक 01.12.1981 यथा संशोधित दिनांक 06.09.1994 द्वारा वन विभाग हितकारी कोष नियम प्रचलित किये गए है (प्रतियां संलग्न)। अध्यक्ष, राजस्थान फोरेस्ट डिपार्टमेंट फण्ड के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तिलक मार्ग शाखा जयपुर में खाता खुला है, जिसका बचत खाता संख्या 51052145561 है। हितकारी कोष प्रारंभ के कई वर्षो तक भलीभांति संचालित होता रहा तथा कई जरूरतमंद कर्मियों को कोष से सहायता भी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि अभी भी कोष में 2,68,992.62 रूपये जमा है। कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागीय कर्मियों के पर्याप्त रूचि नहीं लेने से कालान्तर में यह कोष निष्क्रिय अवस्था में है।

यह हितकारी कोष एक अत्यन्त लाभकारी व्यवस्था है, जिससे विपत्ति के समय विभागीय लोकसेवकों को त्वरित वित्तीय सहयता प्रदान की जा सकती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए उचित होगा कि इस कोष को पुनः सक्रिय किया जावे। इस हेतु सभी संवर्गो के लिये निर्धारित अंशदान राशि सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त कर उन्हें संलग्न प्रपत्र में रसीद दी जावे। आजकल एस.बी.आई. की सभी शाखाओं में कोर बैकिंग की सुविधा उपलब्ध है। उक्त खाते की संचालन की समस्त शक्तियां "वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन सचिव वन विभाग" के पास है। अतः प्राप्त की गई राशि कार्यालयाध्यक्ष सीधे ही हितकारी कोष के बचत खाता संख्या 51052145561 में जमा कराकर जमा कराई गई राशि किस किस अधिकारी/कर्मचारी से प्राप्त कर जमा कराई गई उसकी जानकारी मय सदस्यता प्रपत्र के "वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन सचिव वन विभाग" हितकारी कोष को एड्रेस कर भिजवा दी जावें। ताकि प्राप्त राशि एवं सदस्यता का रिकार्ड रखा जा सके। वन विभाग हितकारी कोष को पुनः सक्रिय करने हेतु सभी स्तरों पर प्रयास किया जाना अपेक्षित है। इसके सफल संचालन हेतु कोई सुझाव हो तो भिजवाने का कष्ट करें। पूर्व में इस संदर्भ में जारी निर्देश/परिपत्र/प्रपत्र आदि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

हस्ता॰
(जी.वी.रेड्डी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 15 (19)2012/हितकारी कोष/प्रमुवसं/पार्ट/ 2-150 दिनांक 13/5/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.)/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर।
4. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर।
5. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन वर्धन राजस्थान जयपुर।
6. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी. जयपुर।
7. समस्त मुख्य वन संरक्षकगण।
8. वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार वन विभाग राजस्थान जयपुर।
10. समस्त उप संरक्षक/भू-संरक्षण अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी।
11. लेखा शाखा (बजट)/कैशियर/अराजपत्रित कार्मिक शाखा कार्यालय हाजा।
12. रक्षी पत्रावली।

(दया सिंह दुल्लर)
मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर